27/03/24

रेखिता सिंह

अनि० सोमवार

बृज०

बृज० सिं० समाप्त

पत्रावली आज वकील वादी मिश्रा सहमी का सुलहनामा पत्र पेश करके आज की पेशी दे ली गई। पक्षकारान का आपसी सुलहनामा होने पर वकील वादी व वकील ने पत्रावली को आगे नहीं पर पत्रावली को नोटहेड किया जाय। इसलिये वाद वादिगण नोटहेड करने पर वाद पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसला सुलह नम्बर के रूप की जाकर दाखिल करें।

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा